(वाद संख्या–36/19)

28.06.2021

परिवादी, रीता देवी की ओर से उनके पति, जितेन्द्र कुमार सिंह, उपस्थित हैं।

परिवादी के पति को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, महिला जन–प्रतिनिधि (परिवादी, रीता देवी उपमुखिया) के साथ प्रखण्ड प्रमुख भभुआ के पति एवं उनके सहयोगियों के द्वारा मार–पीट, छेड़खानी एवं अभद्र भाषा से संबंधित घटना पर कार्रवाई किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, भभुआ, कैमूर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के लिखित आवेदन के आधार पर भा0द0स0 की धाराओं, 448/ 341/ 323/ 504/ 506/ 354(बी.)/34 के अन्तर्गत तीन नामांकित व दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भभुआ थाना कांड संख्या–701/18, दिनांक–06.10.2018 संस्थित किया गया जिसमें तीन नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा आरोप–पत्र समर्पित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, भभुआ, कैमूर द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन घटना के संस्थित किये जाने के दो दिन बाद एक रामधनी सिंह यादव के लिखित आवेदन के आधार पर छः नामंकित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 341 /323 /325 /504 /506 /34 / के अंतर्गत भभुआ थाना कांड संख्या– 705/18, दिनांक–08/10/2018 संस्थित किया गया था जिसमें अनुसंधानोपरान्त सभी छः प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

उपरोक्त पर परिवादी की ओर से अनुलग्नकों के साथ अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि उनके विरोधियों ने प्रतिशोध स्वरूप परिवादी के ससुर, पति, देवर आदि पर अनुसूचित जाति के एक छोटे लाल राम को खड़ा कराकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधीनियम के अंतर्गत झूठा मामला दर्ज करा दिया गया है।

अब, जबकि परिवादी के द्वारा संस्थित भभुआ थाना कांड संख्या–701/18 में पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

<u>निबंधक</u>